



राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साइट:-<http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

ई.मेल:-rvres.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2706736(0)

क्रमांक:- एफ.23()स्था/आकाशि/RVRES/12/ई-07019

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय : RVRES व्याख्याताओं के वरिष्ठ/चयनित/ PB-IV के आवेदन पत्रों के क्रम में।
संदर्भ : विभाग का राज काज Ref No: 4136865 दिनांक 27/06/2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित में लेख है की RVRES नियम 2010 के अन्तर्गत नियुक्त व्याख्याताओं के द्वारा CAS के लाभ हेतु दिनांक 27/06/2023 को आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों को आयुक्तालय को अग्रेषित करने के संबंध में नोडल महाविद्यालय एवं आवेदक महाविद्यालय के प्राचार्य इस आशय का प्रमाण पत्र सलंगन कर भिजवाए कि आवेदक के सेवा अभिलेख से पात्रता अवधि में EOL / Service Break की जांच कर ली गई है। इसमें किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है।

ऐसे आवेदनकर्ता जिन्होंने दिनांक 09/07/2019 के पत्र क्रमांक एफ 1(92) पीएस/ निकाशि/ 13 /पार्ट/ 871 के तहत आवेदन किया था और नवीन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, उनके पूर्व में आवेदन किये गये आवेदन पत्र की scanned copy एवं EOL /Service Break की जांच उपरान्त किसी प्रकार की विसंगति नहीं है, के आशय का प्रमाण पत्र भी आयुक्तालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। अतः उक्त दोनों स्थितियों में सलंगन प्रारूप में सूचना आवेदन पत्रों के साथ सलंगन कर दिनांक 31-07-2023 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

सयुक्त निदेशक (RVRES)
कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान

प्रतिलिपि- निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर
2. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
3. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा जयपुर / जोधपुर / उदयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर भरतपुर
4. वेबसाइट प्रभारी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत
5. रक्षित पत्रावली

Signature valid

Digitally signed by Gunjeet Kaur
Designation : Professor
Date: 2023.07.18 17:59:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4311634



प्रारूप

कार्यालय, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय.....

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/डॉ.....पद.....
विषय.....वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय.....
में पदस्थापित है।
2. श्री/श्रीमती/डॉ..... को CAS के अन्तर्गत देय वरिष्ठ/चयनित/
पे-बैंड iv के लिए आवेदन पत्र में मूल्यांकन अवधि के दौरान इनकी सेवा रिकॉर्ड
से जांच के उपरान्त यह पाया गया है कि मूल्यांकन अवधि का सेवा सत्यापन कर
लिया गया है एवं किसी प्रकार का कोई सेवा व्यवधान/असाधारण अवकाश/
अवैतनिक अवकाश नहीं है।
3. श्री/श्रीमती/डॉ.....को CAS के अन्तर्गत देय वरिष्ठ/चयनित/
पे-बैंड iv के लिए आवेदन पत्र में मूल्यांकन अवधि के दौरान इनकी सेवा रिकॉर्ड
से जांच के उपरान्त यह पाया गया है कि मूल्यांकन अवधि में निम्न सेवा सत्यापित
नहीं है तथा सेवा व्यवधान/असाधारण अवकाश/अवैतनिक अवकाश पाया गया है,
जिसका विवरण निम्नानुसार है.....
 - मूल्यांकन अवधि जिसकी सेवा सत्यापित नहीं है। (सलंगनक- 1)
 - मूल्यांकन अवधि में सेवा व्यवधान। (सलंगनक- 2)
 - असाधारण/अवैतनिक अवकाश अवधि का विवरण। (सलंगनक- 3)

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय.....